85/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 85/2015 1–राकेशकुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये माता व वली कुदरती निर्मलादेवी नि0 58 एलएनपी तह0 पदमपुर 2– ज्योति पुत्र रामकुमार जरिये मु0आम निर्मलादेवी बनाम 1–रामकुमार पुत्र इमीचन्द जाति कुम्हार नि0 58 एलएनपी तह0 पदमपुर 2–महावीर 3–महेन्द्रकुमार 4–कृष्णलाल 5–काशीराम 6–रामचन्द्र 7–तहसीलदार पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.04.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित दावा सं0 81/2008 अनवानी प्रकरण राकेशकुमार आदि बनाम रामकुमार आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

713/11-4-16

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर